

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1361/2015/ भरतपुर
2. अपील संख्या - 1362/2015/ भरतपुर
3. अपील संख्या - 1363/2015/ भरतपुर
4. अपील संख्या - 1364/2015/ भरतपुर

सहायक आयुक्त करापवंचन, वृत्त-III

राज., जयपुर

बनाम

मैसर्स डी.आर.आयॅल्स इण्डस्ट्रीज,

भरतपुर

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ, जयपुर

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के.बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन

अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17.02.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त सभी चारों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 एवं सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 कर धारा 25, 55, एवं 61 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 29.01.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपास्त की गई मांग राशि, जिनके विरुद्ध सहायक आयुक्त, करापवंचन, वृत्त-III, राज. जयपुर (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ये अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वर्ष	अन्तर कर	ब्याज
1361/15	147/CST/2014-15	29.01.2015	08-09	15,84,306/-	11,40,700/-
1362/15	148/CST/2014-15	29.01.2015	09-10	10,59,379/-	6,35,628/-
1363/15	149/CST/2014-15	29.01.2015	10-11	18,21,613/-	8,74,374/-
1364/15	150/CST/2014-15	29.01.2015	11-12	7,95,495/-	2,86,378/-

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्रीमान् आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक एफ.3(ए)(10)ज्यूरिस/टैक्स/आयुक्त/97-653 दिनांक 05.04.2010 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.3(ए)(10)ज्यूरिस/टैक्स/आयुक्त/97/432 दिनांक 31.03.2011 की अनुपालना में सक्षम अधिकारी को प्रत्यर्थी व्यवसायी की वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक की पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर से

लगातार.....2

प्राप्त हुई जिनके अवलोकन पर सक्षम अधिकारी द्वारा पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2008-09 से 2011-12 में रियायती कर दर पर की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत 'सी' फार्म के सत्यापन हेतु वा.क.अ., प्रतिरापवंचन, राज, वृत्त-द्वितीय जयपुर द्वारा विभिन्न राज्यों यथा- झारखण्ड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को पत्र प्रेषित किये गये। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं विभागीय वेबसाइट से निकाली गई TINXSYS Report के अनुसार वर्ष 2008-09 की अवधि से सम्बन्धित रुपये 7,92,15,296/- वर्ष 2009-10 की अवधि से संबंधित रुपये 5,29,68,927/- वर्ष 2010-11 की अवधि से संबंधित रुपये 6,07,20,438/- के तथा वर्ष 2011-12 की अवधि से संबंधित रुपये 2,65,16,492/- के 'सी' फार्म असत्यापित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधि की अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत 'सी' फार्म जांच पर बोगस/असत्यापित पाये जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवसायी की आलोच्य अवधियों में अन्तर्राज्यीय बिक्री पर पूर्ण दर से कर देयता मानते हुये एवं आलोच्य अवधि में उक्त असत्यापित 'सी' फार्म की राशि पर करारोपण होने से छूट जाने के कारण उक्त चारों प्रकरणों में अधिनियम की धारा 9 सपठित धारा 25, 55 एवं 61 आफ आरवेट एक्ट, 2003 के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.04.2014 के लिये जारी कर वर्ष 2008-09 की अवधि से संबंधित रुपये 7,92,15,296/- वर्ष 2009-10 की अवधि के लिये 5,29,68,927/- के, वर्ष 2010-11 की अवधि के लिये 6,07,20,438/- के तथा वर्ष 2011-12 की अवधि के लिये 2,65,16,492/- के असत्यापित 'सी' फार्म पर अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त जारी नोटिस की पालना में नियत तिथि को व्यवसायी फर्म के पार्टनर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहने पर प्रकरण में आगामी तिथि 21.04.2014 नियत की गई। व्यवसायी के निवेदन पर समय-समय पर स्थगन दिनांक 30.06.2014 को व्यवसायी की ओर अधिकृत प्रतिनिधि ने जारी सम्मन का प्राथमिक जवाब मय लेजर की छायाप्रति, दलाली बिल टी.डी.एस सर्टिफिकेट्स जी आर एवं वैट-49 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की एवं विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का जवाब चाहा। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेशों को त्रुटिपूर्ण बताया एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जब व्यवसायीगण के विरुद्ध करवंचना का कोई वाद नहीं बनाया गया एवं फर्मों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया एवं न ही व्यवसायीगण के बहियात से कोई संव्यवहार छुपाया नहीं पाया गया एवं न ही उनके द्वारा कोई गलत सूचना प्रस्तुत की गई तब तक उक्त प्रकरण निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित करना विधिसम्मत नहीं है। अतः बिना क्षेत्राधिकार के कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। कर निर्धारण की समस्त

कार्यवाही बिहार राज्य से प्राप्त सत्यापन जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसे सर्वेक्षण नहीं कहा जा सकता। इसलिये पत्रावली का स्थानान्तरण बिना क्षेत्राधिकार के व नियमानुसार गलत है। इसलिये कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

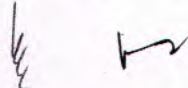
विद्वान अभिभाषक के अनुसार विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। विधि के अनुसार अधिनियम की धारा 24 में एक ही समय व एक ही टर्नओवर के तहत एक से अधिक कर निर्धारण पारित नहीं किये जा सकते। प्रत्यर्थी व्यवसायीगण के तिमाही कर निर्धारण अधिनियम की धारा 24 सपठित 9 ऑफ सी0एस0टी0 एक्ट के तहत पूर्व में ही पारित किये जा चुके थे, जिनमें आदेश पारित किये गये थे, वे "सी" प्रपत्रों को स्वीकार कर पारित किये गये थे। उन्होंने Notification No. F. 12(22)FD/Tax/2008-49 dated 25.08.08 का हवाला दिया, जिसके अनुसार "Dealer's Who's Assessment are pending for the year 2006-07 or part thereof and 2007-08 or part thereof shall be assessed annually for the year 2006-07 & 2007-08 under section 23 & 24 of the Act as a case may be" अर्थात् एक बार धारा 24 के तहत कर निर्धारण पारित करने के बाद पुनः धारा 24 के कर निर्धारण पारित करना क्षेत्राधिकार से बाहर है। विद्वान अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में ACTO V/s Yogiraj and Company (2007) 19 TUD Page 234 का उद्धरण पेश किया। तदनुरूप एक ही साथ दो भिन्न धाराओं में कर निर्धारण अविधिक है। इसके साथ ही उन्होंने निम्न उद्धरण प्रस्तुत किये :- (2002) 2टीयूडी 274 आर.टी.बी.सीटीओ बनाम चौपडा केमिकल्स 2003 (एसटीएन 211 आरटीबी रघबर इण्डिया (लि.) बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन, विद्वान अभिभाषक के अनुसार अधिनियम की धारा 24 के तहत किया गया कर निर्धारण अधिनियम की धारा 90 के तहत भी अमान्य है, जिसके अनुसार **"No Assessment made and no order passed by any officer appointed or authority constituted under this Act shall be called into question except as provided in this Act."** निर्धारण अधिकारी को अधिनियम के तहत धारा 24 में किये गये कर निर्धारण को पुनः करने या रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में AIR 1976 SC 789 के उद्धरण का हवाला दिया।

विद्वान अभिभाषक ने Maharaja Ummed Mills Ltd V/s Commissioner of Income Tax Rajasthan and others 121 ITR 641 का हवाला दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने AAC को यह निर्देश दिये कि व्यवसायी की प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णय के बाद प्रार्थना पत्र का निष्पादन किया जाना चाहिये। इसके अलावा उन्होंने निम्न उद्धरण भी अपने तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत किये।

II Hon'ble Madras High Court in case of Karam Chand Thapar & Borthers (CS) Limited V/s Commercial Taxes Officers (FEC), Harbour-I Assessment Circle, Chennai, 144 STC 405

III Hon'ble Madras High Court in case of Mutthu Raja Traders V/s Deputy Commercial Taxes Officer 106 STC 283

IV Hon'ble Rajasthan High Court in case of Assam Roller Flour Mills Industrial Area Jhotwara, Jaipur V/s Commercial Taxes Officer Special Circle-II, Jaipur & others 1979 Tax Reporter 463.



विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी ने विद्वान अभिभाषक की प्रारम्भिक आपत्तियों का निर्णीत करने से पूर्व एवं व्यवसायीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने से पूर्व ही निर्धारण आदेश पारित कर दिये थे। निर्धारण अधिकारी ने उनके सामने प्रस्तुत विविध न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिये तथा बिना कटु परीक्षण के आदेश पारित किये गये, जिसकी पुष्टि किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30 STC 657, Sales Tax Officer, Ganjam and another V/s Uttareswari Rice mill व 2003 (16एसटीटी-13आरटीबी) सहायक आयुक्त बनाम बिरला फ्लोर मिल्स के प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर किसी अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य है जो वह किसी व्यवसायी के विरुद्ध कर निर्धारण में काम में लेना चाहता है तो उसे उस व्यवसायी के ध्यान में लाकर और उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद ही आदेश पारित करना चाहिए।

परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के आदेश की अनुचित तौर पर पुष्टि कर दी गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा अपूर्ण रिपोर्ट जो बिहार से प्राप्त हुई उस पर कार्यवाही की गई, जो व्यवसायी के विरुद्ध काम में नहीं ली जा सकती। प्रत्यर्थी व्यवसायीगण द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के तहत बिक्री की जो दलालों के माफत की गई प्रत्येक विक्रय के साथ वैट-49 इन्श्योरेंस कवर लेटर, रोड परमिट संलग्न किये गये थे। समस्त बिक्री तिमाही बिक्री प्रपत्रों में दर्शायी गई थी एवं क्रेता व्यवसायीगण से "सी" फार्मस प्राप्त किये गये। समस्त इन्द्राज बहियात में दर्ज है जिन्हें सही मानते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा रिफण्ड जारी किये गये। बिहार राज्य से प्राप्त जांच रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, जो अपीलार्थी व्यवसायीगण के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में काम में नहीं ली जा सकती है। इसके समर्थन में उन्होंने निम्न उद्धरण प्रस्तुत किये :

I. CTO A/E V/s Rajasthan Aluminum Industries, Jaipur RTC 1986 page 64

II. (1987) 66 STC 292 (S.C.) Kerala Glass Factory V/s Sales Tax Tribunal.

III. (1977) 39-STC 478 (S.C.) State of Kerala V/s Shadul Yusuf.

Mukund Singh and Sons V/s Presiding Officers Sales Tax Tribunal Punjab and Haryana High Court 107 STC 300

IV. Hon'ble Rajasthan Tax Board Ajmer in case of Khetan Industries Jalore V/s CTO A/E Commercial Taxes, Jalore 5 TUD 262.

उनके द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय मैसर्स सास्ता एन्टरप्राइजेज बनाम अपीलेट अथोरिटी का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिपादित किया गया कि एक बार बिक्री पूर्ण हो जाने पर विक्रेता व्यवसायीगण का क्रेता व्यवसायी पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। अतः विक्रेता फर्म पर शास्ति आरोपण उचित नहीं है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रक भाडा व अग्रिम राशि व सी.एस.टी. पर भी करारोपण किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर सी फार्मस पेश करने के बाद भी 2 प्रतिशत से अन्तर कर आरोपित करना एवं इसकी पुष्टि करना न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है, जिसे समाप्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है वह उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन को सिद्ध नहीं किया है। समस्त इन्द्राज प्रत्यर्थी व्यवसायीगण के बहियात

में दर्ज है। प्रत्यर्थी व्यवसायीगण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने CTO Birdi Chand Manchidhar 93 STC 346 का उद्धरण पेश किया। जिसमें अभिमत किया है कि कोई बिक्री अगर बहियात में दर्ज है एवं व्यवसायी की मनोस्थिति करापवंचन की नहीं है तो उस पर शास्ति आरोपणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवसायीगण के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किये :

- I. (1989) 74 – STC 288 (RHC) CTO V/s Sojat Lime Co.
- II. (2002) 97-STC 238 (RHC) ACTO V/s Kumawat Udyog Ltd.
- III. (2009) 26 – VST 362 (Mad) State of T.N. V/s Indian Cements Ltd.
- IV. Hon'ble Supreme Court of India in case of M/s Shri Krishna Electricals Vs State of Tammilnadu and another 23 VST 249.
- V. Hon'ble Rajasthan High Court in case of ACTO Ward Ist Rajasamand Vs White Marble House 148 STC 14.

ब्याज आरोपण के प्रश्न पर विद्वान अभिभाषक ने निम्न उद्धरण पेश किये :-

- I. (1984) 94 – STC 422 (SC) M/s J.K. Synthetics Ltd. V/s CTO
- II. (2001) 122-STC 410 (SC) M/s Mamta Wire Industries Pvt. Ltd. V/s Sales Tax Officer.
- III. (2005) 141 –STC 12 (SC) EID Party (India) Ltd. V/s Asst. Commissioner.

उक्त उद्धरण प्रस्तुत कर उन्होंने कथन किया चूंकि कर की संगणना (quantify) नहीं होने से ब्याज आरोपण अविधिक है, इसको निरस्त किया जाना चाहिये। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को ट्रक भाडा अग्रिम राशि व सीएसटी पर देय कर पर ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें व्यवहारी को उचित राहत प्राप्त हो चुकी है तथापि मिथ्या एवं कूटरचित सी फार्म जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये, इस पर करापवंचन स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। क्रेता एवं विक्रेता व्यवहारीगण द्वारा कर का लाभ अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया है अतः इस पर आरोपित देय कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से उक्त कृत्य हेतु सृजित मांग की पुष्टि की गई है। मिथ्या एवं कूटरचित सी प्रपत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत तथ्य की उक्त सी प्रपत्र दलाल द्वारा उपलब्ध करवाये गये थे, उनका इसमें कोई दोषी मनोभाव नहीं होना कतई स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अन्तरप्रान्तीय व्यवसाय के क्रम में किसी भी संव्यवहार के संबंध में छूट प्राप्त करने हेतु विहित विधिक प्रपत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी छूट प्राप्तकर्ता की होती है। अतः प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जावें। उन्होंने समान तथ्यों व परिस्थितियों के प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 जो मैसर्स भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर व अन्य के प्रकरणों में पारित किया गया है, में प्रतिपादित व्याख्याओं के आलोक में उक्त अपील खारिज योग्य है एवं इन आधारों पर उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि हेतु निवेदन किया। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने बताया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 में यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया कि व्यवसायी के बोगस 'सी' फार्म अस्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी ने सही निर्णय किया है, उन्होंने बताया कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम धारा 10 के तहत व्यवसायी पर इस बात को साबित करने का भार

है कि उसके द्वारा प्रस्तुत 'सी' फार्म सही व सत्य है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपनी जांच के सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये अमुख 'सी' फार्म बोगस व मिथ्या है। अतः उक्त बोगस 'सी' फार्म के आधार पर रियायती कर दर का लाभ व्यवसायी को नहीं दिया जा सकता है।

"Central Sales tax Act, 1956 Sec.8(4) CST(Rajasthan) Rules 17 CST (Bihar) Rules, 1957 Rule 9 The purchasing dealer of bihar issued to selling dealer 'C' forms obtained by another dealer from department. Selling dealer submitted 'C' forms received by him to the assessing authority, held benefits of lower rate of tax on those C forms was rightly rejected....."

उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त प्रकरणों के तथ्य विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित निर्णय जो राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 720, 721, 722, 723, 724, 732, 770, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 817, 818, 820, 835, 836, 837, 842, 1070, 1082, 1083, 1084, 1085, 1724, 1725, 1726, 1727, 1828, 1850, 1870, 1872, 1873, 1877, 1878, 1948/2011 एवं 753/2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 में प्रतिपादित व्यवस्था में समान तथ्य, समान परिस्थिति एवं समान प्रकृति विद्यमान है। अपीलार्थी व्यवहारीगण भरतपुर के तेल मिलें हैं जिन्होंने अपने अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के समर्थन में दलालों से प्राप्त बोगस "सी" प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिनकी जांच विभाग द्वारा कराये जाने पर बिहार के तत्संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी नहीं किये जाने पाये गये हैं। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त संव्यवहार दलालों के मार्फत किये गये थे और सी प्रपत्र भी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त किये गये थे। अब उक्त दलाल भी परिदृश्य में उपलब्ध नहीं है। उक्त संव्यवहार बिना "सी" प्रपत्र समर्पित ही माने जावेंगे। हस्तगत अपीलों में क्षेत्राधिकार, त्रैमासिक, कर निर्धारण, संशोधन आदेश, शीघ्र प्रतिदाय के मामले, प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के उद्धरण, प्रस्तुत कानून के प्रावधान तथा बिहार के क्रेताओं के साथ संव्यवहार की प्रकृति इत्यादि सभी तथ्य उपरोक्त वर्णित निर्णीत अपीलों के तथ्यों के समानार्थ हैं। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 25.06.2015 में इन तथ्यों पर व्यवस्था सुस्थापित कर दी गई है। तदनुरूप **"(130) At the backdrop of above, the mustard oil was taxable @ 4 % in the State of Rajasthan for fiscal 2006-07 and the CST payable on its sale to the registered dealers of other States in the course of inter-Sate trade and commerce from Rajasthan was @ 2 % on condition of furnishing C forms on strength of Notification no. F 12 (63) FD / Tax/ 2005-101, dated: October 18, 2006 issued under sub-section (5) of section 8 of the CST Act, 1956 in supersession of earlier notification No.F 12 (14) FD/ Tax/ 2006-134, dated: March 03. 2006 whereby rate of the CST payable on the inter-State transactions of mustard oil was stipulated @ 1 per cent which continued until October 17, 2006; but, in case such sales were not carried through by virtue of being fortified with C-forms, they were exigible to tax @ 10 per cent, as was the case in the aforesaid impugned appeals for the year 2006-07 for want of valid C-Forms."**

व्यवस्था प्रतिपादित की गई है। उक्त निर्णय की व्यवस्था इन अपीलों के विवेचन में पूर्णतः लागू होती है। अतः अब अलग से विवेचन की आवश्यकता नहीं है। तथापि उक्त निर्णीत

अपीलों में अपीलार्थियों के विरुद्ध करापवंचन की शास्ति में राहत दी गई है, चूंकि समस्त परिस्थितियां हस्तगत अपीलों में भी समान है अतः करापवंचन हेतु आरोपित शास्ति राशियों को अपास्त किया जाता है।

अपील का अगला विवादित बिन्दु अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति से संबंधित है। इस संबंध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहारों का जमा खर्च अपनी लेखा पुस्तकों में किया गया है। तथा समस्त संव्यवहारों को बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित किया गया है। प्रकरण में विवादित बिन्दु कर दर से संबंधित है। इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स ह्यूलेट-पैकर्ड इंडिया सेल्स प्रा.लि., सी-185, सिंघल एरोमेटिक्स, वी.के.आई. एरिया, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर के प्रकरण में उिये गये निर्णय दिनांक 16.09.2009 जो कि (2009) 25 टैक्स अपडेट 189 पर रिपोर्टेड है, का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय में माननीय न्यायालय ने बिक्री को छिपाया जाना साबित किये बिना माल के वर्गीकरण की गलत एंट्री के तहत कम कर से कर अदा करने के आधार पर शास्ति के आरोपण को अनुचित माना है। माननीय कर बोर्ड ने इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

"इस संबंध विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टांत (2004) 137 एसटीसी 537 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि व्यवहारी द्वारा माल के क्रय/विक्रय के रिकॉर्ड/रिटर्न में दर्शाये गये आंकड़ों बाबत कोई विवाद नहीं है और बिक्री के इन आंकड़ों के अनुसार कर अदा किय गया हो तो विभाग द्वारा व्यवहारी के बिक्री का देय कर दायित्व कम करने की मंशा से बिक्री को छिपाया (conceal) जाना साबित किये बिना माल के वर्गीकरण की गलत एंट्री के तहत कम कर से कर अदा करने के आधार पर शास्ति आरोपित करना अनुचित है। अपीलार्थी के प्रकरणों में भी प्रथम दृष्टया बिक्री के आंकड़ों के गलत दर्शाने अथवा कर दायित्व कम करने के इरादे से बिक्री के आंकड़ों के गलत दर्शाने अथवा कर दायित्व कम करने के इरादे से बिक्री को छिपाने (concealment) का मामला नहीं है। व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये ऑल इन वन प्रिंटरस को अपने स्तर पर वैट अधिनियम की अनुसूची IV के भाग 'ए' की क्र.सं. 3 अन्तर्गत मानकर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर अदा किया गया, जबकि उक्त माल वैट अधिनियम की अनुसूची V के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य होने के कारण इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से देय था। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टांत (2004) 137 एसटीसी 537 में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये माल का वर्गीकरण गलत एंट्री के अन्तर्गत करते हुए कम दर से कर अदा किये जाने के कृत्य को करापवंचन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धरा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।"

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वर केटरर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, संभाग-प्रथम, जयपुर 19 टीयूडी 85 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

"-----a) It is also not in dispute that all the trans actions of sale on the basis of which taxable turnover by the assessee was computed by the assessee, were duly recorded in the books of accounts maintained by the assessee in regular course of business and on the basis of such books of accounts only the assessing authority framed the assessment and imposed the tax. It is not a case of concealment of turnover or filing of inaccurate particulars as is envisaged under Section 65 of the Act.-----"

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वीएसटी 249 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि:-

"So Far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealers own account books and the assessing authorities include these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stand set aside."

इस प्रकार कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

12.2.2017
(मदन लाल)
सदस्य